Stamps and Registration Department
OFFICE OF SUB REGISTRAR I
JAIPUR
(Rule 75 & 131)
FEE RECEIPT

Fee Receipt No	2012051012757	Date	27/09/2012
Presenter Name	GIRISH KUMAR PAREEK	Document S. No	2012051012514
Presenter/Property Address	120-121- ANAND VIHAR JAGATPURA JAIPURnull		
Document Type	Lease deed for local bodies (Patta)		
Claiment Name		Payment Mode	Cash
Face Value	11354430	Evaluated Value 0	Stamp Value 540690

Ord- registration fee	50000	commssion	0
csi_more_50000	300	custody	0
stamp(memorandom)	0	reg(memorandom)	0
Penalty	0	us_57	0
stamp duty	27040	Surcharge	56775
us_25_34	0	others	0
us_64_67	0	Inspection_fee	0
		Total :	134115

One Lakh Thirty Four Thousand One Hundred Fifteen Only

Cashier

Sub Registrar JAIPUR-I

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

शहरी जमाबन्दी के आधार पर समूह आवासीय प्रयोजनों के लिए निजी खातेदारी योजना के अन्तर्गत भूमि का

एकल पट्टा-विलेख

यह इकरारनामा जो आज दिनांक 26/9/12 ...... 2012 को, आवंटित/विक्रय-पत्र संख्या .... सन् 2012 को राजस्थान राज्य के राज्यपाल जिन्हें इसके पश्चात् सरकार कह कर सम्बोधित किया गया है और दूसरी ओर मैसर्स .... जरिये श्री/श्रीमती गिरीश कुमार पारीक पुत्र/पत्नी श्री ... कुमार पारीक ...... जाति ब्राह्मण ...... व्यवसाय व्यापार ...... निवासी 120-21 आदर्श विहार जगतपुरा (जिनको इसके पश्चात् पट्टेदार कह कर सम्बोधित किया गया है और इस बाबत में जहाँ कहीं प्रसंग से वैसा अर्थ निकले, उनके उत्तराधिकारी, निर्वाहक, प्रबन्धक, प्रतिनिधि और मुन्तकील अलैह भी सम्मिलित होंगे) के बीच लिखा गया है।

इसमें उल्लेखित शर्तों और करारों, जो पट्टेदार द्वारा निष्पादित तथा पालन किये जावेंगे के एवज में सरकार इसके द्वारा पट्टेदार को जमीन का वह तमाम प्लाट (जो इसके बाद उक्त भूखण्ड कह कर सम्बोधित किया गया है) का नियमन और पुन: आवंटन करती है जो निजी खातेदारी योजना 590, 595, 596, 620, 627 व 628 ...... में स्थित ग्राम महल ...... खसरा ...... स्थान क्षेत्रफल ...... 9011.45 और जो अपनी सीमाओं और क्षेत्रफल के साथ इसके साथ संलग्न साइट प्लान में अधिक पूर्ण रूप से वर्णित है। जिसका आकार विशेष रूप से इससे संलग्न नक्शे में दिखलाया गया है, और जिसे पूर्व स्वामित्व सम्बन्धी स्वत्वों सहित किन्तु निम्नलिखित तमाम व प्रत्येक अपवादों, संरक्षणों, प्रतिबन्धों, वैध शर्तों और करारों के अधीन पट्टेदार अपने उपयोग, उपभोग और इस्तेमाल के लिए अपने अधिकार में रखेगा, अर्थात् :-

1. उक्त भूखण्ड शहरी जमाबन्दी (लीज होल्ड) पर पुन: आवंटित किया गया है। लीज की अवधि, 99 वर्ष होगी।
2. पट्टेदार द्वारा जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर के कार्यालय में या राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर नियत अन्य स्थान पर नियमन दर 300/- रुपये प्रति वर्ग गज से कुल नियमन राशि 2703435/- ...... शब्दों में सत्ताईस लाख तीन हजार चार सौ पैंतीस ...... रुपये देय होती है जो चालान नं. .... दिनांक .... से जमा है इसका 2.5 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से शहरी जमाबंदी रुपये देय है। राज्य सरकार के आदेश क्रमांक एफ-9 (15) यू.डी. /3/2001 दिनांक 15.1.2002 से आठ वर्षीय लीज राशि 540687/- ...... शब्दों में 5 लाख चालीस हजार छः सौ सत्तासी ...... रुपये होती है जो चालान नं. 227232 ...... दिनांक 20/9/12 ...... से जमा है।
3. उक्त भूखण्ड का उपयोग ग्रुप हाउसिंग हेतु किया जावेगा। भूखण्ड का अन्य भिन्न उपयोग किसी भी भांति नहीं किया जा सकेगा। व 2001 के भूखण्ड के सम्बन्ध में राज्य सरकार के आदेश दिनांक 10-7-99 क्रमांक पं. (3) नं. वि.वि/3/99 भवन विनिमयों के प्रावधानों में प्रदत्त शिथिलता के तहत नियमन योग्य निर्माण किया गया है तथा नियमन अयोग्य निर्माण के सम्बन्ध में सम्बन्धित विनिमयों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी एवं सैट बैक प्लान के अनुसार छोड़ने होंगे।
4. इस लीज डीड के आधार पर उक्त भूखण्ड को सरकार/जीवन बीमा निगम/शिड्यूल्ड बैंक/सरकार ऋणदात्री संस्था/ एच.डी.एफ.सी. अथवा नेशनल हाउसिंग बैंक द्वारा अधिकृत ऋणदात्री संस्थाओं के पास भवन निर्माण के ऋण के लिए गिरवी रखा जा सकेगा।
5. पट्टेदार उक्त भूखण्ड या उस पर बनाये गये भवन या भवनों का या उन दोनों के किसी भाग को किसी ऐसे आशय के लिये जो पिछले पद में निर्देशित आशय के असंगत है बिना सरकार या सरकार के ऐसे अधिकारी की लिखित स्वीकृति, के जो एतदर्थ नियुक्त किया गया हो, न तो उपयोग में लावेगा और न उपयोग में लाने की अनुमति ही देगा। पट्टेदार द्वारा पट्टा विलेख की उपरोक्त शर्तों एवं दी राज. इम्प्रुवमेंट ट्रस्ट (डिस्पोजल ऑफ अरबन लैण्ड, 1974 के) अन्तर्गत स्थापित शर्तों की पूर्ण पालना की जावेगी। यदि किसी शर्त या शर्तों का उल्लंघन किया गया तो उक्त भूखण्ड एवं उस पर बने हुए भवन, यदि कोई हो, सहित उक्त भूखण्ड बिना किसी मुआवजे की राशि के अधिग्रहण कर लिया जावेगा।

उप पंजीयक
जयपुर–प्रथम

नोट :— इस भूखण्ड की निश्चित राशि का चार गुना पंजीकृत मूल्य राशि रु. 10813740/-
रु. .... होती है। अतएव स्टाम्प नं. 2927-28, 20354 स्टाम्प रुपये 540690+10
संख्या 10 बहैसियत पट्टा इसके साथ लगाये जाते हैं।

इसके साक्षी के रूप में इसके पक्षकारों ने इसके बाद प्रत्येक दशा में निर्देशित स्थानों और तारीखों पर अपने-अपने हस्ताक्षर कर दिये हैं।

सरकार की ओर से

आज सन् 2012 माह मार्च के 26 वें दिन .... श्री नरेन्द्र कुमार वर्मा
सक्षम अधिकारी, जयपुर विकास प्राधिकरण जोन 9 जयपुर

सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर
उपायुक्त एवं प्राधिकृत अधिकारी
जोन-9
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

एवं

पट्टेदार कार्यालय, जयपुर विकास प्राधिकरण,

जयपुर में निम्न साक्षी की उपस्थिति में हस्ताक्षर .... किये।

पट्टेदार के हस्ताक्षर

साक्षी :-

1. नाम गौरव जैन
पिता/पति का नाम श्री सुभाष जैन
व्यवसाय प्राइवेट नौकरी
निवास स्थान म.नं. 2450, मालजी का चौक, जौहरी बाजार, जयपुर।
साक्षी के हस्ताक्षर

2. नाम विवेक चतुर्वेदी
पिता/पति का नाम स्व. श्री गोविन्द नारायण चतुर्वेदी
व्यवसाय प्राइवेट नौकरी
निवास स्थान 543, सूर्य नगर, जयपुर
साक्षी के हस्ताक्षर

SITE PLAN FOR GROUP HOUSING IN KHARA No. 595, 596, 620, 627, 628. AT VILLAGE:- MAHAL, TEH. SANGANER, JAIPUR.

NET PLOT AREA:- 9011.45 SQ.YDS

PERCENTAGE OF CONSTRUCTION AREA AS PER BY LAWS 2010 & 2011.

SCALE:- 1"=50'-0"

PARAMETER'S:-

1. MAXIMUM BUILT UP AREA:- 35%
2. MAXIMUM HEIGHT:- AS PER BY LAWS 8.11
3. STANDARD F.A.R:- 1.33
4. MAXIMUM F.A.R:- 2.25 (CHARGES AS PER BY LAWS)

नोट:-1.प्रस्तावित भूमि/ खसरा का अनुमोदन पैरा 95/N पर दिनांक: 26-06-12 को श्रीमान आयुक्त महोदय, द्वारा किया गया है।

2. सेक्टर रोड में एलाइनमेन्ट में परिवर्तन प्रभावी/ आवेदक को मान्य होगा।

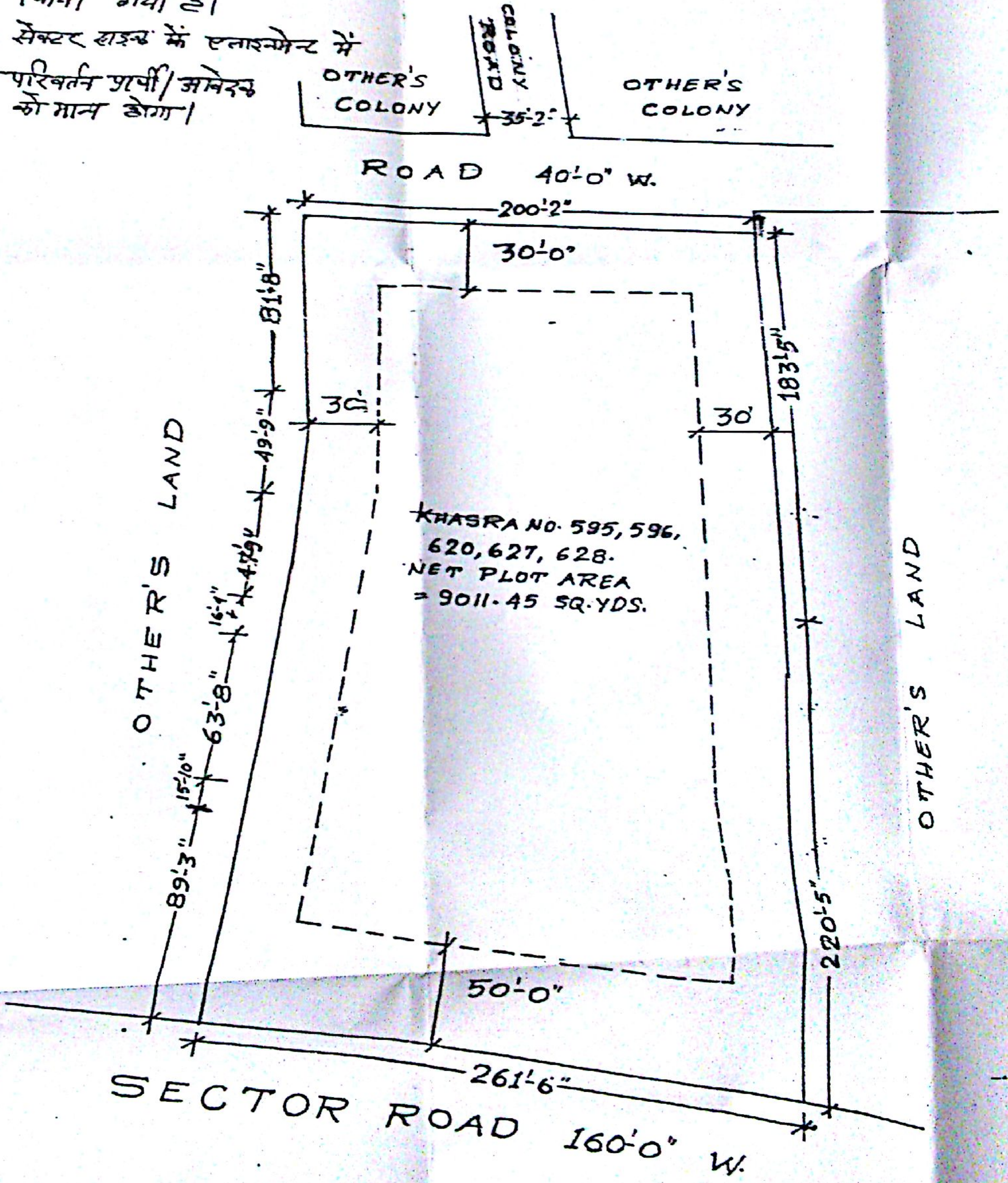

Kamlesh 26/09/2012
SITE ENGINEER
ZONE-9.

A.T.P.
ZONE-9

DY. C.
ZONE-9

Generated by CamScanner from intsig.com